

- 5 -

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या-46/2020-21

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

-बनाम्-

हरिलाल यादव एवं अन्य

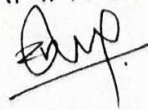
-आदेश:-

12.10.2022

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी-सह-अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं०-29/2020, दिनांक-11.12.2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके स्वलिखित प्रतिवेदन के आधार पर पेटरवार (तेनुघाट ओ०पी०) थाना कांड सं०-104/2020, दिनांक-28.06.2020, धारा-379/34 भा०द०वि० एवं खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत जप्त 1. ट्रैक्टर नं०-JH09AT-9894 वाहन मालिक हरिलाल यादव पिता बिगन यादव 2. ट्रैक्टर नं०-JH09T-6735 वाहन मालिक मन्दु यादव पिता नारायण गोप 3. ट्रैक्टर नं०-JH09AQ-4129 वाहन मालिक रंजित यादव पिता सत्यनारायण यादव के विरुद्ध दर्ज किया गया है। फलस्वरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत प्रश्नगत वाहन को राजसात् की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता पुकार पर अनुपस्थित रहे। दिनांक-05.04.2022 को उनकी ओर से दाखिल कारण-पृच्छा का अवलोकन किया।

विपक्षी की ओर से दाखिल कारण-पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि जप्त वाहन पर राजसात् करने के लिए की गई कार्यवाही बिल्कुल ही तथ्यों से परे, गैर कानूनी एवं पोषणीय नहीं है। विपक्षी को गलत तरीके से इस मुकदमें में फँसाया गया है। उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि वादी के द्वारा छापेमारी के दौरान दस्तावेज के बिना पुष्टि के ही प्रश्नगत वाहन 1. ट्रैक्टर नं०-JH09AT-9894 2. ट्रैक्टर नं०-JH09T-6735 3. ट्रैक्टर नं०-JH09AQ-4129 को जप्त किया गया है। विपक्षी के द्वारा न तो कभी भी अवैध रूप से बालू का परिवहन किया गया है और न ही उनके पास से किसी भी प्रकार का अपराधिक



वस्तु को ही बरामद किया गया है। बिना किसी साक्ष्य के ही उन पर वाद दायर किया गया है। ओरदाना पंचायत के मुखिया के द्वारा सिचाई हेतु कुप निर्माण के लिए ईट, उलगड़डा पंचायत के मुखिया के द्वारा मनरेगा एवं पी0एम0 आवास कार्य हेतु ईट एवं सिमेंट का परिवहन करने लिए लिखित आदेश दिए जाने के बाद ही वाहन मालिकों के द्वारा उक्त सामग्री को प्रश्नगत वाहनों से परिवहन किया गया है। विपक्षी के पास ईट एवं सिमेंट परिवहन करने के वैध कागजात मौजूद है। उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि जप्ती सूची दिनांक-17.06.2020 को तैयार किया गया है जबकि लिखित प्रतिवेदन दिनांक-27.06.2020 को और F.I.R दिनांक-28.06.2020 को दर्ज किया गया है। इस वाद में F.I.R काफी बिलम्ब से हुआ है, जिसका वादी के द्वारा कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। अनुसंधानकर्ता के द्वारा जप्त वाहन के संदर्भ में विस्तृत प्रतिवेदन माननीय न्यायालय S.D.J.M. Bermo at Tenughat को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अनुसंधानकर्ता के द्वारा वाहन को विमुक्त करने के संबंध में कोई भी आपत्ति नहीं की गई है। उक्त के आलोक में माननीय न्यायालय S.D.J.M. Bermo at Tenughat के द्वारा दिनांक-13.04.2021 को आदेश पारित कर प्रश्नगत वाहन को सशर्त विमुक्त किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कहा गया कि यह अधिहरण की कार्यवाही विधिक नहीं है। अतः न्यायहित में इस वाद को खारिज करते हुए समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

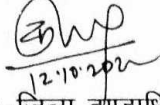
उभय पक्षों की ओर से दाखिल दस्तावेज, कारण-पृच्छा एवं अभिलेख में संघारित अन्य कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पेटरवार (तेनुघाट ओ0पी0) थाना कांड सं0-104/2020, दिनांक-28.06.2020, धारा-379/34 भा0द0वि0 एवं खान एवं खनिज अधिनियम के अन्तर्गत जप्त 1. ट्रैक्टर नं0-JH09AT-9894 2. ट्रैक्टर नं0-JH09T-6735 3. ट्रैक्टर नं0-JH09AQ-4129 को माननीय न्यायालय S.D.J.M. Bermo at Tenughat के द्वारा दिनांक-13.04.2021 को न्यायिक आदेश पारित कर सशर्त विमुक्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस वाद को आगे बढ़ाने का कोई



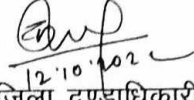
औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।



समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।



समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।